राजस्थान उच्च न्यायालय

जोधपुर

...

:: <u>नि र्ण य</u> ::

महरून निसा व अन्य ब ना म मोहम्मद फारूख व अन्य

एकल पीठ सिविल विविध अपील सं**. 300/1991**

कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण सं. डब्लू सी. 21/1989 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 27.05.1991 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

निर्णय दिनांक :::: 7 मई, 2007

<u>उपस्थित</u>

<u>माननीय न्यायाधिपति श्री माणक मोहता</u>

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री गजेन्द्र मेहता।
प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता श्री आर.के. मेहता।

<u>न्यायालय द्वारा</u> :

प्रार्थीया - अपीलार्थीया की ओर से कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण सं. डब्लू सी. 21/1989 में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 27.05.1991 के विरूद्ध मौजूदा अपील अन्तर्गत धारा 30 कामगार

क्षतिपूर्ति अधिनियम, 1923 (जिसे आगे ' अधिनियम 1923 ' से सम्बोधित किया जावेगा) प्रस्तुत की गई हैं,जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं -

प्रार्थीया - अपीलार्थीया श्रीमती महरून निसा एवं अन्य द्वारा क्षतिपूर्ति दिलाये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार मृतक मोहम्मद हुसैन अप्रार्थी सं. 1 के यहां आटो रिक्शा सं. आर.एस.एच. 5024 पर चालक के पद पर नियुक्त था। दिनांक 24.1.1989 को उक्त आटो रिक्शा को प्रताप नगर चौहराया चित्तौड़गढ़ के पास कॉलेज की तरफ मृतक मोहम्मद हुसैन द्वारा मरम्मत कराने हेतु ले जाते समय सामने से आ रहे ट्रक की टक्कर से बचाने मे सड़क के किनारे लगे लोहे के बोर्ड की एंगल से टकराने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया एवं मृतक मोहम्मद हुसैन गम्भीर रूप से चोटग्रस्त हो जाने से उपचार हेतु चित्तौड़गढ़ अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन उसके चोटे ज्यादा गम्भीर होने से उपचार हेतु दिनांक 2.2.1989 को उदयपुर ले जाया गया, जहां पर बावजूद उपचार प्रयासों के उसे बचाया नहीं जा सका और सिर व पावों की चोटो की वजह से दिनांक 4.2.1989 को उसकी मृत्यु हो जाने का उल्लेख प्रार्थना पत्र में किया गया। प्रार्थना पत्र में आगे प्रार्थीया ने अपने स्वयं को, बच्चे एवं सास को मृतक पर आश्रित होना वर्णित करते हुवे दुर्घटना के वक्त मृतक मोहम्मद हुसैन का वेतन 750/- रूपया प्रतिमाह होना एवं उस वक्त मृतक की आयु 32 वर्ष होने का उल्लेख किया हैं। प्रार्थना पत्र में आगे वर्णित किया कि उक्त दुर्घटना के पश्चात् आटो रिक्शा के मालिक विपक्षी सं. 1 से मौखिक रूप से प्रतिकर राशि की मांग की गई परन्तु उसके द्वारा कोई राशि अदा नहीं की गई इस हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर भी न्यायालय में कोई राशि जमा नहीं करवाई गई इसके अतिरिक्त यह भी वर्णित किया कि उक्त दुर्घटना के रोज उक्त आटो रिक्शा अप्रार्थी सं.

2 के यहां बीमित होने से अप्रार्थी सं. 2 भी प्रतिकर की राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी रहते है। प्रार्थीगण ने हर्जाने की राशि के रूप में 61,200/- रूपया एवं उक्त राशि पर ब्याज व शास्ति भी दिलाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

प्रार्थीया पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर अप्रार्थी-प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजे गये लेकिन अप्रार्थी सं. 1 जो कि ओटो रिक्शा का मालिक हैं, बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं होने से दिनांक 9.11.1989 को उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

अप्रार्थी सं. 2 की ओर से प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थीया-अपीलार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अधिकांश तथ्यों को अस्वीकार किया गया हैं। विशेष रूप से मृतक का विपक्षी सं. 1 के यहां नियोजन में होने से एवम् दुर्घटना में चोटग्रस्त होने से भी अस्वीकार किया हैं। जवाब में उज्र किया कि दुर्घटना के सम्बन्ध में मृतक या विपक्षी सं. 1 द्वारा दुर्घटना की कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज नहीं कराई गई। आगे यह भी वर्णित किया कि मृतक के परिवार वालो ने विपक्षी संक्ष्या एक के साथ कपट संधि कर क्षतिपूर्ति की राशि लेने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। मृतक मोहम्मद हुसैन का 750/- रूपये माहवार वेतन पर नियोजन में होने से भी इन्कार किया एवम् उज्र किया कि मृतक की उम्र भी 32 वर्ष क्षतिपूर्ति की राशि अधिक दिलाये जाने हेतु गलत लिखाई है। अप्रार्थी सं. 2 ने अपने जवाब में उक्त वाहन अपने यहां बीमित होना स्वीकार किया है लेकिन मृतक अप्रार्थी सं. 1 के यहां नियोजन में नहीं होने से प्रार्थीगण कोई क्लेम राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। विशेष कथन में उल्लेख किया

कि मृतक के पास वाहन चलाने का कोई अनुज्ञा पत्र नहीं था। इस दुर्घटना की कोई सूचना अप्रार्थी सं. 1 द्वारा अप्रार्थी सं. 2 को नहीं दी गई। अत: अप्रार्थी सं. 2 की कोई क्षतिपूर्ति अदा करने की जिम्मेदारी नहीं बनती। अन्त में निवेदन किया कि विपक्षी सं. 2 का जवाब स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

प्रकरण में निम्निलिखित विवाद्यक नियत किये गये -

" 1-आया श्री मोहम्मद हुसैन (मृतक) दुर्घटना दिनांक 24.1.89 को अप्रार्थी 1 के नियोजन में था ?
2-आया मृतक का वेतन 750/- रू. प्रतिमाह था ?
3-आया मृतक की दुर्घटना arising out of and in the course of employment हुई है?
4- आया प्रार्थीया क्लेम अनुसार मुआवजा पाने की अधिकारी है ?
5-राहत। "

प्रार्थीया-अपीलार्थीया पक्ष की ओर से साक्ष्य में स्वयं प्रार्थीया ए.डब्लू. 1 श्रीमती मेहरू निसा एवं ए.डब्लू. 2 मोहम्मद हुसैन पेश हुवे। प्रलेखीय साक्ष्य में घटना की पुलिस थाने पर दर्ज कराई गई रिपोर्ट एवम् मृतक के उपचार सम्बन्धी प्रलेख, मृतक का चालक अनुज्ञा पत्र प्रदर्श 1 प्रस्तुत हुवे। अप्रार्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से साक्ष्य में कोई उपस्थित नहीं हुआ और न ही कोई प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत हुई।

दोनों पक्षों को सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुवे, बाद सुनवाई योग्य कामगार आयुक्त ने अपने आदेश दिनांक 27.5.1991 से मृतक को

घटना के रोज अप्रार्थी सं. 1 के नियोजन में मानते हुवे अप्रार्थी सं. 2 की ओर से रखे गये कपट संधि के उज्र को निरस्त करते हुवे प्राथमिक रूप से अप्रार्थी सं. 1 को क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने के लिए उत्तरदायी मानते हुवे क्षतिपूर्ति के रूप में रूपये 53,077/- की राशि निर्धारित की एवम् अप्रार्थी सं. 1 को निर्देश दिये कि वह उक्त मुआवजा राशि रूपये 53077/- आदेश के 30 दिन के भीतर आश्रितों को वितरण करने हेतु न्यायालय में जमा करावे, उक्त ओटो रिक्शा उस समय अप्रार्थी सं. 2 के यहां बीमित होना मानते हुवे अप्रार्थ सं. 1 को उक्त राशि अप्रार्थी सं. 2 से वसूल करने का अधिकारी माना, ब्याज व शास्ति के रूप में कोई राशि नहीं दिलाई, जिससे असन्तुष्ट होते हुवे प्रार्थीया-अपीलार्थीगण की ओर से अपील प्रस्तुत हुई, जिसका नोटिस प्रत्यर्थीगण को दिया गया। ओटो मालिक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से योग्य अधिवक्ता उपस्थित हुवे।

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अपील की सुनवाई के दौरान प्रार्थीया- अपीलार्थीया पक्ष की ओर से योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि मृतक मोहम्मद हुसैन को प्रत्यर्थी सं. 1 के यहां सेवा में मानते हुवे एवम् सेवा कार्य के निर्वहन के दौरान चोटग्रस्त हुआ होना स्वीकार किया है, उक्त चोटों के फलस्वरूप मृतक मोहम्मद हुसैन की तत्पश्चात् शीघ्र ही मृत्यु होना भी प्रमाणित है। योग्य अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि दुर्घटना के वक्त मृतक की उम्र 30-32 वर्ष की होना साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है और उस समय 750/- रूपये मासिक वेतन साक्ष्य से प्रमाणित हुआ है, जिसके खण्डन में कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई है। विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने भी इसे स्वीकार किया है

और जिसके आधार पर उनके द्वारा क्षतिपूर्ति की राशि -53,077/- निर्धारित की है। यह भी निवेदन किया कि दुर्घटना के वक्त मृतक मोहम्मद हुसैन के ओटो रिक्शा चलाने की दक्षता रखने के सम्बन्ध में प्रार्थी-अपीलार्थी पक्ष की ओर से वाहन चलाने का अनुज्ञा पत्र की प्रति प्रदर्श -1 प्रस्तुत की है। इन आधारों पर प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण की क्षतिपूर्ति के सम्बन्ध में की गई मांग पूर्ण रूप से वाजिब रहती है। विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने इन मुद्धों पर विचार करते हुवे सम्बंधित अधिनियम की धारा 4 (1) (a) के तहत मुआवजा राशि 53,077/- प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण को पाने का अधिकारी माना है लेकिन उक्त आदेश पारित करते वक्त प्रत्यर्थी सं. 1 को प्राथमिक रूप से उत्तरदायी मानते हुवे आदेश दिया कि प्रत्यर्थी सं. 1 उक्त राशि को प्रत्यर्थी सं. 2 जिसके यहां ओटो रिक्शा बीमित था, से प्राप्त कर सकेगा। योग्य अधिवक्ता ने निवेदन किया कि इस प्रकार के आदेश-निर्देश सम्बंधित अधिनियम के तहत दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। सम्बंधित वाहन बीमित होने की स्थिति में उक्त राशि वाहन मालिक के साथ साथ बीमा कम्पनी से भी पृथक व संयुक्त रूप से वसूल की जा सकने योग्य मानी जानी चाहिये थी एवम् क्षतिपूर्ति की राशि तुरन्त बीमा कम्पनी द्वारा जमा कराई जाने का निर्देश दिया जाना न्यायोचित था। योग्य अधिवक्ता प्रार्थी-अपीलार्थीगण द्वारा अपने तर्को के समर्थन में सम्बंधित अधिनियम के प्रावधानों की ओर ध्यान आकर्षित किया एवं इन तर्को का और खुलासा करते हुवे यह भी निवेदन किया कि बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत किये गये जवाब में इस बात की भी स्वीकारोक्ति है कि दुर्घटना के रोज उक्त वाहन उनके यहां बीमित था, ऐसी स्थिति में बीमा कम्पनी को क्षतिपूर्ति की राशि अदा करने व न्यायालय में जमा करवाने के उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण द्वारा यह भी निवेदन किया

गया कि विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, ने सम्बंधित अधिनियम के प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुवे ब्याज व शास्ति के सम्बन्ध में कोई आदेश पारित नहीं किये है। पत्रावली पर आये हुवे तथ्यों से यह स्पष्ट उजागर होना बतलाया कि दुर्घटना की जानकारी होने पर व क्षतिपूर्ति की राशि वाहन मालिक द्वारा तुरन्त जमा कराये जाने का दायित्व होने के बावजूद कोई अन्तरिम क्षतिपूर्ति की राशि जमा नहीं कराई गई है। ऐसी सूरत में मुआवजा की राशि का 50 प्रतिशत तक बतौर शास्ति व मुआवजे की राशि पर निर्धारित दर से ता वसूली ब्याज दिलाया जाना न्यायोचित था लेकिन विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने अपने आदेश में न तो इस सम्बन्ध में कोई टिप्पणी की और न ही वांछित शास्ति व ब्याज की राशि दिलाई है, जिससे उक्त निर्णय अपूर्ण एवम् इस हद तक अपास्त करने योग्य रहता है। पुन: ब्याज व शास्ति दिलाई जाने के लिए प्रार्थना की। इन तर्को के साथ विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, के आदेश को संशोधित करते हुवे क्षतिपूर्ति की राशि प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ साथ प्रत्यर्थी सं. 2 से संयुक्त व पृथक पृथक रूप से वसूली योग्य तय करते हुवे प्रत्यर्थी सं. 2 को उक्त राशि न्यायालय में शीघ्र जमा करवाने के लिए निर्देशित करने हेतु व शास्ति व ब्याज की राशि प्रत्यर्थीगण से दिलाई जाने हेतु आदेश देते हुए निर्णय पारित किये जाने का निवेदन करते हुवे अपील मंजूर किये जाने की प्रार्थना की।

प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से उपस्थित योग्य अधिवक्ता ने इन तर्को का खण्डन करते हुवे निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में मृतक मोहम्मद हुसैन का प्रत्यर्थी सं. 1 के यहां सेवा में रहना एवं सेवा कार्य करते हुवे चोटग्रस्त होना प्रमाणित नहीं है और न ही यह

प्रमाणित है कि इन चोटों की वजह से ही उसकी मृत्यु हुई हो। इस प्रकार उसकी आयु के सम्बन्ध में भी कोई पुख्ता प्रलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुई, फिर भी विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने उसे प्रत्यर्थी सं. 1 की सेवाओं में मानते हुवे क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित कर दिलाई जाने का आदेश दिया है, जिसे विधि सम्मत नहीं होना बतलाया एवं बहस के दौरान अपने तर्को के समर्थन में प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त दी ओरियन्टल इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम श्रीमती सविता एवं अन्य 1999 (2) डब्लू.एल.एन. पेज 167 एवं यूनाईटेड इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम श्रीधरगडे बसाप्पा व अन्य (2003 ACJ 875) में अभिनिर्णित किये गये मतों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार करते हुवे शास्ति व ब्याज की कोई राशि नहीं दिलाई गई है। वर्तमान में शास्ति व ब्याज की राशि दिलाये जाने का कोई औचित्य नहीं रहना बतलाकर सम्बंधित निर्णय में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहना बतलाया। यह भी निवेदन किया कि शास्ति व ब्याज की राशि के लिए प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी को माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम हर्षदभाई अमरूतभाई मोदिया (2006 ACJ 1699) में अभिनिर्णित किये गये मतों के अनुसार उत्तरदायी भी नहीं ठहराया जा सकता। यह भी निवेदन किया कि प्रस्तुत प्रकरण में प्रत्यर्थी सं. 1 जानबूझकर उपस्थित नहीं हुआ है। प्रार्थी-अपीलार्थीगण की प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ कुट संधि हो रखी है। इस प्रकार प्रार्थी-अपीलार्थीगण किसी प्रकार का कोई अनुतोष पाने के अधिकारी नहीं रहते। अपील खारिज

किये जाने की प्रार्थना की।

दोनों पक्षों के योग्य अधिवक्तागण के तर्को पर गौर किया गया।

वर्तमान में मौजूदा अपील सिर्फ दावेदार/अपीलार्थीगण की ओर से मुख्यत: अप्रार्थी सं. 1 के साथ-साथ अप्रार्थी सं. 2 से भी संयुक्त एवं पृथक पृथक रूप से क्षतिपूर्ति वसूल योग्य तय किये जाने हेतु एवम् शास्ति व ब्याज की राशि दिलाई जाने हेतु प्रस्तुत की गई है। विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने प्रकरण पर समुचित रूप से विचार करते हुवे यह माना है कि मृतक मोहम्मद हुसैन दुर्घटना के रोज प्रत्यर्थी सं. 1 की सेवा मे था और सेवाओं में रहते हुवे वह दुर्घटना में घायल हुआ है एवं सिर व पैरों पर पहुंची हुई चोटों के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई। प्रार्थी-अपीलार्थी पक्ष की ओर से मृतक की पत्नी मेहरू निसा ए.डब्लू. 1 साक्ष्य में उपस्थित हुई है, जिसने भी इन बातो के समर्थन में साक्ष्य दी है। इसके अलावा मोहम्मद हुसैन ए.डब्लू. 2 भी साक्ष्य में उपस्थित हुआ है, जो कि दुर्घटना का चश्मदीद गवाह है और जिसने अपनी साक्ष्य में कहा है कि मृतक मोहम्मद हुसैन ओटो आर एस एच 5024 चला रहा था व एक साईकिल वाले को बचाने के प्रयास में सड़क के किनारे लोहे के बोर्ड से टकरा गया जिससे पांव में फ्रेक्चर एवं सिर में चोटें आई, उसके द्वारा उसे अस्पताल में ले जाना बतलाया गया है। उसने अपनी साक्ष्य में यह भी कहा है कि दुर्घटना के 4-5 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई। प्रलेखीय साक्ष्य में इस सम्बन्ध में उक्त दुर्घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई जाना जाहिर होता है एवं प्रलेखों से मृतक का एक रोगी के रूप में सरकारी अस्पताल में भर्ती रहना भी जाहिर होता है। दुर्घटना के वक्त मृतक के पास ओटो रिक्शा चलाने का वैध अनुज्ञा

पत्र मौजूद होना भी प्रदर्श 1 प्रलेखीय साक्ष्य से प्रमाणित है। मृतक की पत्नी ने उसकी उम्र दुर्घटना के वक्त 30-32 वर्ष बतलाई है एवं तनख्वाह 700 से 750/- रूपया मासिक रूप से लाने की बात कही है। उक्त जुबानी व प्रलेखीय साक्ष्य के खण्डन में विपक्षी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं हुई। प्रत्यर्थी सं. 1 की ओर से कोई जवाब पेश नहीं हुआ।

प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से प्रस्तुत जवाब में सम्बंधित वाहन का दुर्घटना के समय बीमित होना स्वीकार किया है। उनकी ओर से उज्र लिया गया कि प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण द्वारा वाहन के मालिक प्रत्यर्थी सं. 1 के साथ कुट संधि स्वरूप उक्त प्रार्थाना पत्र प्रस्तुत किया गया है लेकिन इसके सम्बन्ध में कोई साक्ष्य अथवा अन्य सबूत प्रस्तुत नहीं किया गया, इस प्रकार उक्त आरोप निराधार रहता है और योग्य कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा मृतक के नियोजन में रहने के सम्बन्ध में निकाले गये निष्कर्ष यथावत रखे जाने योग्य रहते है। विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने इन परिस्थितियों पर विचार करते हुवे उचित प्रकार से उसे सेवा में मानते हुवे क्षतिपूर्ति निर्धारित की है और बीमा कम्पनी की ओर से उक्त फाईन्डिंग के विरूद्ध पृथक से कोई अपील अथवा क्रोस ओबजेक्शन तक प्रस्तुत नहीं किया गया है, ऐसी परिस्थितियों में प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी की ओर से बहस के दौरान रखे गये उज्र स्वीकार योग्य नहीं रहते एवं उनकी ओर से प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त उनके कथनों को मदद नहीं करते है। प्रस्तुत दोनों ही न्यायिक दृष्टान्तों में बीमा कम्पनी की ओर से अपील प्रस्तुत की गई थी लेकिन वैसी स्थिति मौजूदा प्रकरण में नहीं है। इस प्रकार निर्धारित की गई क्षतिपूर्ति की राशि की हद तक विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त की फाईन्डिंग यथावत रखी जाती है लेकिन विद्वान्

कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने क्षतिपूर्ति की राशि प्राथमिक रूप से प्रत्यर्थी सं. 1 को उत्तरदायी मानते हुवे उसके द्वारा जमा कराये जाने का आदेश दिया है, जिसे अप्रार्थी सं. 2 से वसूल करने का अधिकार भी दिया है। मेरे विनम्र मत में व उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में जहां वाहन स्वीकृत रूप से प्रत्यर्थी सं. 2 के यहां बीमित था। दुर्घटना के रोज मृतक मोहम्मद हुसैन का सेवा में होना, दुर्घटना के फलस्वरूप उसकी मृत्यु हुई होना माना गया है, उस स्थिति में सम्बंधित अधिनियम के तहत क्षतिपूर्ति की राशि प्रत्यर्थी सं. 1 वाहन मालिक व प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी से पृथक व संयुक्त रूप से वसूल किये जाने योग्य तय करना विधि सम्मत रहता है एवं बीमा कम्पनी को उक्त राशि न्यायालय में जमा करवाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित था। विद्वान् कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त ने प्रत्यर्थी सं. 1 को उक्त राशि प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी से वसूल करने का अधिकार दिया है, जो प्रार्थीगण-अपीलार्थीगण के हितो को कुप्रभावित करता है एवम् शीघ्र भुगतान हो सकने की स्थिति में बाधा उत्पन्न करने योग्य रहता है। इस प्रकार इस हद तक उक्त आदेश विधि सम्मत नहीं रहता है। इस हद तक संशोधन करते हुवे प्रत्यर्थी सं. 1 उक्त राशि जमा करवाने के आदेश के स्थान पर प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 को संयुक्त व पृथक पृथक रूप से उक्त राशि जमा करवाने का आदेश दिया जाना न्यायोचित है। प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी ने उक्त वाहन वक्त दुर्घटना स्वीकृत रूप से बीमित होना माना है। इस प्रकार प्रत्यर्थी सं. 2 बीमा कम्पनी को आदेश के एक माह के अन्दर उक्त राशि दावेदार-अपीलार्थीगण को अदा करने के लिए न्यायालय में जमा करवाने हेतु आदेशित-निर्देशित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अपीलार्थी पक्ष कथन इस हद तक स्वीकार योग्य रहते है।

अपीलार्थी पक्ष की ओर से शास्ति एवं ब्याज दिलाये जाने के उज्रों पर विचार किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1 को दुर्घटना की शीघ्र जानकारी हुई होना मानी जाने योग्य रहती है लेकिन उसके द्वारा अन्तरिम रूप से अथवा आदेश होने के बावजूद कोई मुआवजा की राशि जमा नहीं कराई गई है। इन परिस्थितियों में शास्ति के रूप में मुआवजे की राशि का 50 प्रतिशत तक शास्ति की राशि रूपये 26,538=50 तय की जाती है एवम् क्षतिपूर्ति की राशि के निर्धारण करने के रोज दिनांक 27.5.1991 से 12 प्रतिशत तावसूली क्षतिपूर्ति राशि प्रत्यर्थी सं. 1 से वसूल की जा सकने का आदेश दिया जाना उचित पाया जाता है। शास्ति की राशि के लिये नियोजक ही जिम्मेवार रहने से उसे उत्तरदायी ठहराया गया है, साथ ही ब्याज की राशि के सम्बन्ध में भी बीमा कम्पनी को उत्तरदायी ठहराया जाना न्यायोचित नहीं रहता। माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय न्यू इण्डिया इंश्योरेन्स कम्पनी लि. बनाम हर्षदभाई अमरूतभाई मोदिया (2006 ACJ 1699) मे अभिनिर्णित किया है कि कामगार क्षतिपूर्ति से सम्बंधित प्रकरणों में बीमा कम्पनी को ब्याज के लिये उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार करते हुवे कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त द्वारा पारित किये गये निर्णय व डिक्री को संशोधित करते हुवे आदेश दिया जाता है कि क्षतिपूर्ति की राशि रूपये 53,077/- अदा करने के लिए प्रत्यर्थी सं. 1 व 2 को पृथक व संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया जाता है। आदेश के एक माह के अन्दर प्रत्यर्थी सं. 2 क्षतिपूर्ति की राशि कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में जमा करावे। इसी प्रकार शास्ति व क्षतिपूर्ति निर्धारण करने के रोज दिनांक 27.5.1991 से 12 प्रतिशत वार्षिकी दर से तावसूली ब्याज की

राशि प्रत्यर्थी सं. 1 से प्रार्थी-अपीलार्थीगण नियमानुसार वसूल करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। दावेदार -अपीलार्थीगण को क्षतिपूर्ति की राशि प्रत्यर्थीगण बएवज रसीद अदा करे अथवा कामगार क्षतिपूर्ति आयुक्त, चित्तौड़गढ़ के न्यायालय में जमा कराये, अन्यथा दावेदार प्रत्यर्थीगण से पृथक अथवा संयुक्त रूप से वसूली कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र रहेगें। प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुवे खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

(माणक मोहता)
न्यायाधिपति